PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 234
दि. 28.05.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बायजू रवींद्रन को सिंगापुर कोर्ट से बड़ा झटका, अवमानना मामले में छह महीने की सजा; शिक्षा स्टार्टअप जगत में हलचल

नई दिल्ली/सिंगापुर। भारत के एडटेक सेक्टर के सबसे चर्चित नामों में शामिल बायजू (BYJU'S) के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट, निवेशकों के साथ विवाद और वैश्विक पुनर्गठन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है। इस निर्णय ने न सिर्फ स्टार्टअप जगत को हिला दिया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेश समुदाय में भी नई बहस को जन्म दे दिया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, रवींद्रन को केवल कारावास ही नहीं, बल्कि लगभग 70,500 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 67.31 लाख रुपये की कानूनी लागत भी वहन करनी होगी। साथ ही उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि यह आदेश उनकी अनुपालना और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति रवैये को लेकर अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद आया है।

मामला दरअसल संपत्ति और निवेश से जुड़े उन विवादों से जुड़ा है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि रवींद्रन ने अदालत के पहले के आदेशों का पालन नहीं किया। अदालत ने यह भी माना कि उनसे मांगे गए दस्तावेज और वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह विवाद तब और गहरा गया जब सिंगापुर स्थित निवेश फर्म और संबंधित इकाइयों के बीच शेयरधारिता और नियंत्रण को लेकर गंभीर प्रश्न उठने लगे।

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सहायक कंपनी

कतर होल्डिंग्स द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई से जुड़ा है। कंपनी का आरोप था कि उसने सिंगापुर की एक निवेश इकाई में बड़ा निवेश किया था, लेकिन उस इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर पारदर्शिता नहीं रखी गई। इसी संदर्भ में अदालत ने रवींद्रन से उनके कथित स्वामित्व और हिस्सेदारी से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन बार-बार निर्देश के बावजूद आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया।

अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब मामला अंतरराष्ट्रीय निवेश और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा हो। अदालत ने माना कि रवींद्रन की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत करने में लगातार देरी और असहयोग की प्रवृत्ति दिखाई गई, जो अवमानना के दायरे में आती है। इसी आधार पर उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

इस फैसले के बाद बायजू और उसके संस्थापक की कानूनी और व्यावसायिक मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कंपनी पहले से ही कई देशों में निवेशकों के साथ विवादों, ऋण पुनर्गठन और संचालन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में संस्थापक के खिलाफ आया यह फैसला कंपनी की साख और भविष्य की संभावनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय निवेश नियमों और न्यायिक आदेशों के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के लिए अदालत के आदेशों का अनुपालन और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है, और किसी भी तरह की चूक गंभीर परिणाम दे सकती है।

सिंगापुर में दिए गए इस फैसले को लेकर अब वैश्विक स्टार्टअप समुदाय में भी चर्चा तेज हो गई है। कई निवेशकों और उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में एडटेक और स्टार्टअप सेक्टर में अनुपालन (compliance) और निवेश संरचना को लेकर नए मानक स्थापित कर सकता है।

फिलहाल बायजू रवींद्रन की ओर से इस फैसले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी कानूनी टीम इस निर्णय की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं, अदालत के आदेश के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वे आत्मसमर्पण करते हैं या इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक की चुनौतियों को उजागर कर दिया है, जो कभी शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में क्रांति का प्रतीक माना जाता था। अब वही कंपनी कानूनी विवादों और वित्तीय संकट के बीच अपने अस्तित्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, मेकेदातु परियोजना पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग; दक्षिणी राज्यों के बीच जल विवाद फिर चर्चा में

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी प्रधानमंत्री के साथ पहली औपचारिक और शिष्टाचार भेंट रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए इसे एक सामान्य शिष्टाचार बैठक बताया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दक्षिण भारत के दो बड़े राज्यों के बीच जल संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है।

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री को तमिलनाडु से जुड़े कई मुद्दों पर अवगत कराया। हालांकि बैठक को शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मेकेदातु परियोजना को लेकर हुई बातचीत की है। यह परियोजना लंबे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बनी हुई है और दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर राजनीतिक और कानूनी तनाव

लगातार बना हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से बताया कि यदि कर्नाटक सरकार मेकेदातु पर बांध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ती है तो इसका सीधा असर तमिलनाडु के जल हिस्से पर पड़ेगा। उनका कहना है कि कावेरी नदी प्रणाली पर निर्भर तमिलनाडु के लाखों किसान इस निर्णय से प्रभावित होंगे और राज्य की सिंचाई व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और मौजूदा जल समझौतों के आधार पर संतुलित समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।

यह विवाद कोई नया नहीं है। मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार का तर्क है कि इससे बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत किया जा सकेगा और जल प्रबंधन बेहतर होगा। वहीं तमिलनाडु का आरोप है कि इस परियोजना से कावेरी नदी के प्रवाह पर असर पड़ेगा और राज्य को मिलने वाले पानी का हिस्सा घट जाएगा। इसी वजह से यह मुद्दा लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बना हुआ है।

मुख्यमंत्री विजय की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य की राजनीति में जल संसाधन, किसानों के हित और संघीय ढांचे के संतुलन जैसे मुद्दे फिर से चर्चा में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि एक रणनीतिक संवाद भी हो सकती है, जिसमें केंद्र सरकार को इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी में इस बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया गया है, लेकिन आधिकारिक बयान में किसी विशेष नीति या निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह संकेत देता है कि दक्षिण भारत के जल विवाद अब सीधे केंद्र सरकार के एजेंडे में भी प्रमुखता से उठ रहे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात व्यक्तिगत रूप से भी प्रतीकात्मक मानी जा रही है। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कोयंबटूर में हुई थी, जब विजय सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं थे। अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह पहली आधिकारिक मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

मेकेदातु परियोजना को लेकर बढ़ते तनाव के बीच इस मुलाकात के बाद अब सभी की नजर केंद्र सरकार की संभावित भूमिका पर टिकी है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र इस विवाद में कोई औपचारिक मध्यस्थता करता है या यह मुद्दा राज्यों के बीच राजनीतिक और कानूनी स्तर पर ही आगे बढ़ता रहेगा।

फिलहाल इस मुलाकात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जल संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौट आया है, और इसका समाधान अब केवल राज्यों के आपसी संवाद तक सीमित नहीं रह गया है।

टीएमसी सांसद काकोली घोष का पार्टी पदों से इस्तीफा, बंगाल की सियासत में हलचल; कल्याणी बैठक के बाद बढ़ा राजनीतिक विवाद

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है, जहां बारासात से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्य के रूप में बनी रहेंगी और एक आम कार्यकर्ता की तरह संगठन से जुड़ी रहेंगी। इस कदम ने राज्य की राजनीति में नए अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे दिया है। काकोली घोष ने अपना इस्तीफा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजे गए पत्र के माध्यम से सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा कि यह निर्णय उन्होंने लंबे समय तक चले मानसिक संघर्ष और गहन विचार-विमर्श के बाद लिया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह कदम व्यक्तिगत संतुलन और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के चलते उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह इस्तीफा उस बैठक के बाद सामने आया जिसमें काकोली घोष कल्याणी में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। यह बैठक राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि टीएमसी नेतृत्व ने उन्हें इस बैठक में शामिल होने से अनौपचारिक रूप से रोका था, बावजूद इसके वे वहां पहुंचीं। इसी घटनाक्रम को उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि काकोली घोष के साथ पार्टी के कुछ अन्य नेता भी इस बैठक में उपस्थित थे, जिससे संगठन के भीतर अनुशासन और आंतरिक मतभेदों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि बैठक के दौरान काकोली घोष ने उनसे कहा कि उन्हें अब "आज़ादी" महसूस हो रही है। इस बयान के बाद मामला और अधिक राजनीतिक रंग ले चुका है और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।

टीएमसी के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि यह केवल संगठनात्मक असहमति का परिणाम है, जबकि कुछ इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से पार्टी ने अब तक काकोली घोष के इस्तीफे पर कोई कठोर टिप्पणी नहीं की है।

महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज, महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी में सीधी टक्कर; 17 सीटों पर साझा रणनीति से विपक्ष ने कसी कमर

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां विधान परिषद के आगामी उपचुनावों को लेकर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी (MVA) के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला तय माना जा रहा है। राज्य की 17 सीटों पर होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनावी संघर्ष ने न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि दोनों गठबंधनों के भीतर रणनीतिक बैठकों और समीकरणों की तेज हलचल भी शुरू कर दी है।

महाविकास आघाड़ी ने इस बार सभी 17 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला करते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि वह सत्तारूढ़ गठबंधन को एकजुट होकर चुनौती देने के मूड में है। इसमें स्थानीय निकायों की 16 सीटों के साथ-साथ नागपुर की एक महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि इस रणनीति का उद्देश्य वोटों के बिखराव को रोकना और चुनावी मुकाबले को अधिक प्रभावी बनाना है।

मुंबई के दादर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में हुई अहम बैठक को इस रणनीति का केंद्र माना जा रहा

है। इस बैठक में शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सीट बंटवारे, संभावित उम्मीदवारों और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस की ओर से प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार मौजूद रहे, जबकि शिवसेना (यूबीटी) की ओर से अनिल परब, अंबादास दानवे और मिलिंद नार्वेकर शामिल हुए। एनसीपी (एसपी) की ओर से सांसद सुप्रिया सुले और शशिकांत शिंदे ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।

बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और सभी दल आपसी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। नेताओं ने कहा कि अगले दो दिनों के भीतर सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा और उसके बाद संयुक्त उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।

वहीं दूसरी ओर, सत्तारूढ़ महायुति खेमे में भी इस चुनाव को लेकर रणनीतिक गतिविधियां तेज हैं। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) मिलकर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि दोनों गठबंधनों के भीतर स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार चयन और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर मंथन जारी है।

विपक्षी गठबंधन ने इस चुनाव को केवल राजनीतिक सत्ता का प्रश्न न मानते हुए इसे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई करार दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि राज्य में स्थानीय निकाय स्तर पर पार्षदों की खरीद-फरोख्त की जा रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक नैतिकता पर गंभीर प्रश्न बताया। महाविकास आघाड़ी नेताओं का कहना है कि इस बार का चुनाव केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। गठबंधन का दावा है कि वे सभी 17 सीटों पर मजबूत और संयुक्त उम्मीदवार उतारकर सत्तारूढ़ गठबंधन को कड़ी चुनौती देंगे।

दूसरी ओर, महायुति खेमे का मानना है कि राज्य में विकास कार्यों और सरकार की नीतियों के आधार पर जनता का समर्थन उनके साथ है। सत्तारूढ़ गठबंधन इस चुनाव को अपनी संगठनात्मक ताकत और प्रशासनिक प्रदर्शन की परीक्षा के रूप में देख रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधान परिषद का यह उपचुनाव केवल संख्या बल का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है। सभी दलों की रणनीति इस बात पर केंद्रित है कि किस तरह अपने-अपने राजनीतिक आधार को मजबूत रखा जाए और अधिक से अधिक सीटों पर प्रभावी जीत दर्ज की जाए।

फिलहाल, दोनों गठबंधनों में बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है और आने वाले कुछ दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत और अधिक गर्म होने की पूरी संभावना है।

संपादकीय

क्रीमी लेयर को अलग करने की पहल

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने से एक महत्वपूर्ण तार्किक चर्चा फिर से प्रारंभ हो गई है। जिसका मकसद है कि कैसे सकारात्मक पहल करके आरक्षण के उद्देश्य को अधिक न्यायसंगत, लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। वास्तव में उनकी पहल का मकसद संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के सबसे गरीब, सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और आरक्षण के लाभ में सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का मकसद पूरा करना। बहुत संभव है कि मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से असहमति के तर्क दिये जाएं। वास्तव में, देश में दशकों से आरक्षण की बहस कोटा बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन उनके न्यायसंगत वितरण की दिशा में पर्याप्त पहल नहीं हो पायी है। निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे, अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक-सामाजिक स्थिति वाले वर्ग ने ही बार-बार शिक्षा और सरकारी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों के भंवर-जाल में फंसे परिवार- मसलन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर परिवार लगातार हाशिये पर ही बने हुए हैं। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य संरचनात्मक असंतुलन को ही ठीक करना है तो इसके लाभ सीमित दायरे के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग के लिये यह प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसमें दो राय नहीं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आरक्षण लाभ में इस तरह के एकाधिकार को रोकने का एक सशक्त साधन है। इस प्रावधान का वंचित अनुसूचित जातियों तक विस्तार करना एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है कि सामाजिक गतिशीलता, हालांकि सीमित स्तर पर कुछ ही लोगों के लिये संभव हुई है। साथ ही अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये नीति को अनुकूलित किया जाना वक्त की जरूरत है।

वास्तव में वर्तमान स्थिति आरक्षण के न्यायसंगत लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने में तार्किक नजर नहीं आती। जब किसी आईएएस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का बच्चा सामाजिक रूप से हाशिये पर गए वर्ग के किसी व्यक्ति के मुकाबले समान लाभों का दावा करना जारी रखता है तो इससे लक्षित उद्देश्य कमजोर हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने पर उनके जातिगत भेदभाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह केवल यही दर्शाता है कि किसी भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह के भीतर, वंचितता की स्थिति अलग-अलग होती है। ऐसी अवस्था में, सबसे निचले स्तर के लोग राज्य के संरक्षण पाने के लिये प्राथमिकता के हकदार हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट मानदंड, सामाजिक पिछड़ेपन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये कारगर सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की टिप्पणी इस बात की ही परिचायक है कि सामाजिक न्याय का विस्तार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को सोच-समझकर बाहर करने से समानता के संवैधानिक वायदे की पुष्टि हो सकती है। इस पहल के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है, तो पहले इससे लाभान्वित लोगों को सुरक्षा कवच न मिल सकेगा। उनका तर्क हो सकता है कि कई बार आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंच जाने के बावजूद किसी भेदभाव व उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। निस्संदेह, इस कथन की तार्किकता विचारणीय है। लेकिन इसका एक निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि सामाजिक विसंगति और आर्थिक विषमता दूर करने का एकमात्र साधन आरक्षण ही नहीं हो सकता है। यहां यह भी विचारणीय होना चाहिए कि कई पीढ़ियों से आरक्षण लाभ पा चुके लोग, स्वेच्छा से उसका परित्याग करें तो इस दिशा में धनात्मक वातावरण बन सकता है। निश्चित रूप से ऐसे कदमों से मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की सकारात्मक पहल को संबल मिल सकेगा।

बेटी पढ़ा तो लो मगर बचाएं कैसे?

> क्या बेटी पालने में बेटे पालने के मुकाबले, कम संसाधन खर्च होते हैं। इन दिनों जब शहरी परिवारमात्र एक-दो बच्चों तक ही सीमित हैं, तब बेटियों की शिक्षा-दीक्षा पर भी बेटे की तरह ही खर्च होता है, लेकिन अब भी वे दोयम दर्जे की नागरिक हैं। नारा लगाते रहिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।

पिछले दिनों से त्विशा शर्मा का केस चर्चा में है। एक दिन में ही अखबारों के कुछ शीर्षक देखिए—संदिग्ध हालत में महिला की मौत। त्विशा-दीपिका की मौत ने दिखाया आईना। विनोद नगर में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत आदि-आदि। ऐसी खबरें रोज आती हैं। एक महिला कमांडो तक की पीट-पीटकर हत्या की जा चुकी है। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों की मानें, तो दहेज हत्या के मामलों में दिल्ली सबसे आगे फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक का नम्बर है।

पिछले कुछ सालों से तो लगता था कि अब देश में बहुत बदलाव हो गया है। शादियां समानता के आधार पर हो रही हैं। इसका बड़ा कारण लगता कि चूंकि लड़कियां पढ़-लिख गई हैं, तो वे स्वयं भी ऐसे युवकों से विवाह करने से मना कर देती हैं, जिनके परिवार उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगते। ऐसे बहुत से विवाह होते भी देखे हैं। आसपास ऐसे कई परिवार भी रहते हैं, जहां लड़कियां विवाह के बाद संयुक्त परिवारों में रहती हैं, कोई लड़ाई-झगड़ा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब सोचती हूं कि जो दिखता है, वही सच नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा रहता है।

अक्सर हम मध्यवर्ग के लोग हर बात अशिक्षा से जोड़ देते हैं कि फलां ने ऐसा इसलिए किया होगा कि परिवार शिक्षित नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन त्विशा के मामले पर नजर डालें, तो उसके ससुराल में सब पढ़े-लिखे थे। सास रिटायर्ड जज, पति आपराधिक मामलों का वकील। फिर भी जब इस लड़की ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी पहली सूचना उसके परिवार वालों को नहीं दी गई, बल्कि

सास अपने जान-पहचान वालों से बातचीत करती रही। छियालीस फोन किए गए। एम्बुलेंस और पुलिस को फोन नहीं किया गया। यही नहीं सास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए, वे, वे ही थे जिन्हें आम तौर पर लड़कियों के चरित्र हनन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि वह ड्रग एडिक्ट थी। एक दिन के लिए घर से बाहर चली गई थी। उसने गर्भपात करा लिया था। वह खाना नहीं बनाती थी। पौधों को पानी नहीं देती थी। शादी से पहले हमारे घर भी आई थी। ऐसे कौन अपने होने वाले ससुराल में आता है। वह अस्सी किलो की थी। उसे सीढ़ियों से उतारना कितना मुश्किल था। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गोल्ड डिगर यानी कि पैसे की लालची थी। उसने मुझे दादी होने का सुख नहीं दिया।

ये बातें कोई ग्रामीण स्त्री नहीं कह रही है, एक रिटायर्ड जज कह रही है। सोचिए कि यदि इनके कोर्ट में ऐसे मुकदमे आते होंगे, तो इनका निर्णय क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से निर्णय कहते हैं कि स्त्री अगर बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, तो उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। शरीर उसका है, उस पर उसी का अधिकार है। यह भी कि आप पत्नी लाते हैं, कोई मेड नहीं कि खाना न बनाना तलाक का कारण बन सके।

त्विशा पैसे कमाती थी। नोएडा से भोपाल जाने पर उसके बहुत से काम छूट गए थे। इस पर भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। यानी कि एक स्त्री पैसे कमाए, उसे अपने पति के परिवार को सौंप दे। घर का काम करे। खाना बनाए। सबकी सेवा करे। किसी और से कभी बातचीत तक न करे, नहीं तो उसके चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार, हर ऐरे-गैरे नत्थू खैरे को मिल जाएगा। कई वकीलों ने कहा भी कि ये आरोप तो स्त्रियों पर सदा से लगते आए हैं।

सोचने की बात है कि शादी करते ही आखिर लड़कियों के ऊपर ही सारा बोझ क्यों लाद दिया जाता है। इन दिनों ऐसे वीडियोज और रील्स की भरमार है, जिनमें ऐसा न करने पर पत्नी को पति घर से निकालने और तलाक की धमकी देते पाए जाते हैं। एक तरफ तो ये वीडियोज समाज में फैली असलियत को बताते हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत से लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करते होंगे। आखिर लड़कियां ही क्यों घर से निकाली जाएं। वे ही क्यों तरह-तरह के लांछन झेलें। यदि प्रतिवाद करें, तो मारी जाएं और यदि चुपचाप सहती रहें, तो खुद जान दे दें।

ग्रेटर नोएडा में रहने वाली दीपिका के पिता तो कुछ देर पहले ही उससे मिल कर गए थे। और कुछ ही देर में उसकी मौत की खबर आई। उसके भाई ने कहा कि अगर हमने बहन की सुनी होती और उसे घर ले आए होते, तो शायद बहन जिंदा होती। आम तौर पर लड़कियों के घर वालों की यही कहानी होती है। जो समाज उनकी परेशानियों में कभी कोई हिस्सा नहीं बंटाता, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, परिवार अपनी ही लड़कियों को वधिकों के हाथों छोड़ देते हैं। अपनी लड़कियों को ही सहने और एडजेस्ट करने की सीख देते हैं। आपकी लड़की की जान चली जाती है, समाज का कुछ नहीं जाता। त्विशा भी अपनी मां को बताती रही कि वह गलत जगह फंस गई है, लेकिन उसकी मां उससे कहती रही कि अपनी सास से बात करो। सब ठीक हो जाएगा।

इन दोनों लड़कियों और इन जैसी बहुत-सी स्त्रियों की जान चली जाती है। यह बात भी महसूस होती है कि लड़कियां जैसे ही किसी घर की बहू बनती हैं, किसी की पत्नी कहलाती हैं, उनका जीवन गिरवी रख दिया जाता है। वे हमेशा किसी न किसी से दया मांगती रहे। एक ऐसा ऑडियो भी सामने आया है जिसमें त्विशा के भाई से बात करते हुए उसकी सास उसके चरित्र पर शक कर रही है। यह सास फिल्मों वाली ललिता पंवार नहीं है, लेकिन बहू की मौत पर मजाल है कि एक आंसू भी आया हो। बहू का मरना भी कोई मरना होता है। एक मरती है, दूसरी आ जाती है।

जब यह लेखिका बहुत छोटी थी, दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, तब इसके पिता कन्नौज रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड थे। उन दिनों घर लौटकर अक्सर वे इस बात की सूचना देते थे कि आज फलां ने अपनी तीसरी बहू मार दी कि एक और ने अपनी पत्नी को मार दिया और दस दिन बाद ही दूसरी शादी भी कर ली। फिर अपनी तीन बेटियों के लिए बहुत चिंतित भी होते। यह भी कहते कि दूसरी पत्नी के माता-पिता ये सवाल कभी क्यों नहीं पूछते कि पहली पत्नी कैसे मरी। यदि पूछते होते, तो शायद ऐसे घर में अपनी बेटी को कभी न देते। आज भी बेटियों की तो किस्मत में ही ये लिखा है कि अपने घरों में वे जन्म से पहले ही भाई की चाहना में प्राण गंवाएं और ससुराल चली जाएं, तो न जाने कितने आरोप और वधिक उनके लिए तलवार लिए बैठे हैं।

यों भी क्या बेटी पालने में बेटे पालने के मुकाबले, कम संसाधन खर्च होते हैं। इन दिनों जब शहरी परिवारमात्र एक-दो बच्चों तक ही सीमित हैं, तब बेटियों की शिक्षा-दीक्षा पर भी बेटे की तरह ही खर्च होता है, लेकिन अब भी वे दोयम दर्जे की नागरिक हैं। नारा लगाते रहिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।

प्रेरणा

सफेद क्रांति का शिल्पकार

भारत के ग्रामीण इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक पद, प्रचार या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के देश की दिशा बदल दी। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे Verghese Kurien, जिन्हें भारत की दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल दूध उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में आत्मविश्वास, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रकाश भी फैलाया। उनकी कहानी किसी साधारण सरकारी अधिकारी की नहीं, बल्कि उस कर्मयोगी की कहानी है जिसने अपना संपूर्ण जीवन किसानों और ग्वालों की खुशहाली के लिए समर्पित कर दिया।

केरल के एक शिक्षित परिवार में जन्मे वर्गीज कुरियन उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका गए। वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटने के बाद उनकी नियुक्ति गुजरात के कैरा जिले के एक छोटे से गांव आनंद में सरकारी पद पर हुई। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह युवक आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास का चेहरा बदल देगा। आनंद उस समय एक साधारण कस्बा था, जहां दूध उत्पादक किसान बिचौलियों और निजी कंपनियों के शोषण से परेशान थे। किसान मेहनत करते थे, लेकिन लाभ दूसरों की जेब में जाता था। गांवों में गरीबी, बेरोजगारी और निराशा का वातावरण था।

कुछ समय बाद जब कुरियन का तबादला किसी अन्य स्थान के लिए हुआ, तब कैरा जिले के ग्वालों के सहकारी संघ के कुछ सदस्य उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने आग्रह किया कि विदेश से मंगाई गई एक मशीन को स्थापित किए बिना वे न जाएं। कुरियन ने किसानों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जो युवक कुछ दिनों के लिए रुका था, वह फिर वर्षों तक वहीं का होकर रह गया। परिवार और मित्रों को लगा कि वह गांव में रहकर अपना भविष्य नष्ट कर रहा है, लेकिन कुरियन ने गांवों की धूल और किसानों के संघर्ष में ही अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया था।

उस दौर में भारत दूध उत्पादन के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ देश था। शहरों में दूध की भारी कमी थी और विदेशों से दूध पाउडर मंगाना पड़ता था। गांवों के किसान मेहनत के बावजूद गरीब बने रहते थे। कुरियन ने देखा कि यदि किसानों को संगठित कर सहकारी व्यवस्था के माध्यम से उन्हें उचित मूल्य दिया जाए, तो उनकी स्थिति बदल सकती है। उन्होंने किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान खोजने में स्वयं को पूरी तरह झोंक दिया। उन्होंने केवल तकनीक या प्रबंधन नहीं दिया, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास जगाया कि वे अपनी मेहनत के बल पर दुनिया बदल सकते हैं।

कुरियन का जीवन अत्यंत अनुशासित और परिश्रमी था। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन 18-18 घंटे काम करते थे। उन्होंने कभी कठिनाइयों की शिकायत नहीं की। आनंद में उन्होंने दूध संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण की ऐसी व्यवस्था विकसित की, जिसने आगे चलकर 'अमूल' जैसी विश्व प्रसिद्ध सहकारी संस्था को जन्म दिया। अमूल केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि किसानों की सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। गांव-गांव से दूध एकत्रित होने लगा और किसानों को सीधे लाभ मिलने लगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई।

कुरियन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसानों को केवल सहायता देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने सहकारी आंदोलन को केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। गांवों में महिलाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ा गया। हजारों महिलाएं दूध उत्पादन और सहकारी समितियों के संचालन में भाग लेने लगीं। इससे ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई और परिवारों की आय बढ़ी।

धीरे-धीरे आनंद मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा। भारत सरकार ने भी इसकी सफलता को स्वीकार किया और राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 'ऑपरेशन फ्लड' नामक इस योजना ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल कर दिया। यह केवल उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला अभियान था। लाखों किसानों को नियमित आय मिली, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ और गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं।

कुरियन का व्यक्तित्व अत्यंत सरल लेकिन दृढ़ था। वे सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सहकारी संस्थाओं का नियंत्रण किसानों के हाथ में रहे। वे मानते थे कि यदि किसानों को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा, तभी वास्तविक विकास संभव होगा। उन्होंने बड़े उद्योगपतियों और सरकारी हस्तक्षेप के दबावों के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा की। यही कारण था कि किसानों के बीच वे केवल अधिकारी नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह सम्मानित थे।

1977 में उन्हें प्रतिष्ठित मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान किसानों का प्रेम और विश्वास था। कैरा जिले के एक बूढ़े ग्वाले ने ठीक ही कहा था कि कुरियन साहब ने सफलता की यह इमारत एक-एक ईंट रखकर बनाई है। उन्होंने केवल संस्थाएं नहीं बनाईं, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को आकार दिया।

आज जब भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है, तब उसके पीछे कुरियन की दूरदृष्टि, मेहनत और समर्पण की अमिट छाप दिखाई देती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि ईमानदारी, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाए, तो गांवों की शक्ति किसी भी देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चा विकास केवल बड़े शहरों और उद्योगों से नहीं, बल्कि गांवों और किसानों की समृद्धि से आता है। डॉ. वर्गीज कुरियन का नाम भारतीय इतिहास में सदैव उस महानायक के रूप में याद किया जाएगा जिसने दूध की हर बूंद में किसानों की मेहनत, सम्मान और आत्मनिर्भरता का स्वप्न देखा। उन्होंने भारत को केवल दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि यह विश्वास भी जगाया कि संगठित प्रयास और निस्वार्थ सेवा से किसी भी राष्ट्र की तकदीर बदली जा सकती है।

Abraham Accords में शामिल हुआ Pakistan तो क्यों बदलना पड़ेगा Passport? आप भी जानिए जवाब

अब्राहम समझौता यह नया चर्चित शब्द बन गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम बहुल देशों से इस समझौते में शामिल होने का आग्रह किया था। फिलहाल, मुस्लिम देशों से अमेरिकी नेता के इस आग्रह का या तो मौन जवाब मिला है या फिर सीधा इनकार। लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है (जो कि उसने अभी तक नहीं किया है), तो उसे अपना पासपोर्ट फिर से डिजाइन करना होगा। 25 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पश्चिम एशिया और अन्य मुस्लिम बहुल देशों से ईरान के साथ विकसित हो रहे शांति समझौते के संदर्भ में इज़राइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने का आह्वान किया। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बात की है और उनसे अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है, जो 2020 में हुए ऐतिहासिक समझौतों का एक समूह है जिसने इजरायल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाया। अमेरिका द्वारा इस बेहद जटिल पहेली को सुलझाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बाद, यह अनिवार्य होना चाहिए कि ये सभी देश कम से कम एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। जिन देशों की चर्चा हो रही है वे हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (जो पहले से ही सदस्य है), कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकांश देशों को ईरान के साथ इस समझौते को पहले से कहीं अधिक ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम होना चाहिए, हालांकि कुछ देशों को हस्ताक्षर करने से छूट दी जा सकती है। विशेष रूप से ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और कतर को तुरंत समझौतों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और बाकी सभी को भी उनका अनुसरण करना चाहिए।

देश के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने तो इज़राइल के निर्माण को अरब जगत के दिल में छुरा घोंपना तक कहा था। तब से यह नीति कायम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में कहा हम फिलिस्तीन संघर्ष के दो-राज्य समाधान को स्वीकार किए जाने तक इज़राइल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलिस्तीन मुद्दे पर हमारी घोषित नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। यह सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी सात दशकों पुरानी नीति अपरिवर्तित है। इसके अलावा, अब्राहम समझौते देश में बेहद अलोकप्रिय बने हुए हैं। सितंबर 2020 में जब अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब देश में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनाव में मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प के 'अब्राहम अकॉर्ड्स' के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन लगातार मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने और इस समझौते में शामिल होने का दबाव बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद के इस समझौते में शामिल होने की किसी भी संभावना को साफ तौर पर नकार दिया है। एक स्थानीय टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने दो टूक शब्दों में कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि पाकिस्तान को ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो हमारी मूल विचारधाराओं के खिलाफ जाता हो। फिलहाल हमारी तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, और न ही किसी ने हमसे इसके लिए संपर्क किया है।

पाकिस्तान की इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे उसकी दशकों पुरानी विदेश नीति है। पाकिस्तान, इजरायल को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं देता है और दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। पाकिस्तान हमेशा से 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन का पुरजोर समर्थन करता आया है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो। देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इजरायल के गठन को "अरब दुनिया के दिल में घोंपा गया खंजर" करार दिया था, और पाकिस्तान आज भी इसी रुख पर कायम है।

हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी देश के इस रुख को दोहराते हुए साफ किया कि जब तक फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देने का सोच भी नहीं सकता। यह बात हर किसी को स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारी सात दशक पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। राजनीतिक बयानों से इतर, अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर पाकिस्तान की जनता में भी भारी आक्रोश है। सितंबर 2020 में जब पहली बार इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब पाकिस्तान की सड़कों पर इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। साफ है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए इस समझौते का हिस्सा बनना नामुमकिन नजर आता है।

पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वह इज़राइल को मान्यता देता है। उसका कहना है कि राजनयिक संबंध तभी स्थापित हो सकते हैं जब 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य का गठन हो जाए और पूर्वी यरुशलम उसकी राजधानी हो। 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से यह मुद्दा इस्लामाबाद के लिए और भी संवेदनशील हो गया है। जहां संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे करीबी खाड़ी सहयोगी इज़राइल के साथ सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता और फ़िलिस्तीन के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन के कारण इससे दूर रहा। यह विरोध नया नहीं है। 2020 में, तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस समझौते को खारिज कर दिया था।

अभियान

रसोई से जुड़ा वह रहस्य जिसे पीढ़ियों से संभालकर रखे हुए हैं दादी-नानी

भारतीय परिवारों में रसोईघर केवल भोजन पकाने की जगह नहीं होता, बल्कि वह घर की भावनाओं, संस्कारों और परंपराओं का केंद्र माना जाता है। यहां बनने वाले भोजन में केवल स्वाद नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और पीढ़ियों की सीख भी घुली होती है। यही कारण है कि रसोई से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को भी हमारे बुजुर्ग विशेष महत्व देते रहे हैं। इन्हीं मान्यताओं में एक बेहद पुरानी और रोचक मान्यता नमक से जुड़ी हुई है। अक्सर जब रसोई में काम करते समय हाथ से नमक गिर जाता है, तो दादी-नानी तुरंत कह उठती हैं—"अरे, नमक गिर गया! यह ठीक संकेत नहीं है।" आधुनिक पीढ़ी इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन सच यह है कि इस विश्वास के पीछे इतिहास, संस्कृति, धर्म, मनोविज्ञान और सामाजिक अनुभवों की लंबी कहानी छिपी हुई है।

आज के समय में नमक एक सामान्य चीज लगती है, जो हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। लेकिन सदियों पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में नमक अत्यंत मूल्यवान वस्तु माना जाता था। कई देशों में नमक इतना महंगा था कि उसे धन के समान महत्व दिया जाता था। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक जरूरी था। उस दौर में रेफ्रिजरेटर जैसी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए मांस, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता था। यही कारण था कि नमक केवल स्वाद नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली वस्तु माना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि रोमन साम्राज्य के समय सैनिकों को वेतन के रूप में नमक दिया जाता था। यही कारण है कि अंग्रेजी शब्द "Salary" का संबंध भी नमक से जोड़ा जाता है। भारत में भी नमक का विशेष महत्व था। यहां नमक को समृद्धि, सम्मान और वफादारी का प्रतीक माना गया। आज भी लोग कहते हैं—"जिसका नमक खाया है, उसके प्रति ईमानदार रहो।" यह कहावत केवल भोजन नहीं, बल्कि संबंधों की मजबूती और भरोसे को दर्शाती है। नमक इस तरह मानव जीवन का भावनात्मक हिस्सा बन गया। भारतीय संस्कृति में भोजन को देवताओं का प्रसाद माना गया है। अन्न का अपमान करना पाप समझा जाता है। नमक भोजन का सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है, इसलिए उसका गिर जाना या बर्बाद होना अशुभ माना जाने लगा। पुराने समय में जब संसाधन सीमित होते थे, तब घर की महिलाएं बहुत सावधानी से रसोई चलाती थीं। थोड़ी-सी भी बर्बादी आर्थिक नुकसान मानी जाती थी। बच्चों और परिवार के लोगों को सावधान करने के लिए यह धारणा बनाई गई कि नमक गिरना अपशकुन होता है। धीरे-धीरे यह चेतावनी परंपरा और फिर लोकविश्वास बन गई। दादी-नानी की मान्यताओं में नमक केवल खाने की चीज नहीं था, बल्कि घर की शांति और रिश्तों का प्रतीक भी था। माना जाता था कि यदि बार-बार नमक गिरने लगे, तो घर में तनाव, मतभेद या रिश्तों में खटास आ सकती है। यह धारणा शायद इसलिए बनी क्योंकि नमक को रिश्तों की मिठास और वफादारी से जोड़ा गया था। जब कोई मूल्यवान वस्तु बार-बार हाथ से गिरती थी, तो उसे असावधानी और आने वाली परेशानी का संकेत माना जाता था। पुराने लोग जीवन की छोटी घटनाओं में भी संकेत ढूंढ़ते थे और उन्हें अनुभव के आधार पर समझाने की कोशिश करते थे। दिलचस्प बात यह है कि नमक को लेकर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में मान्यताएं प्रचलित हैं। यूरोप और पश्चिमी देशों में भी नमक गिरना दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। वहां यह विश्वास है कि नमक गिरने से बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं। इसी कारण लोग गिरे हुए नमक का थोड़ा हिस्सा उठाकर अपने बाएं कंधे के ऊपर फेंकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन यूरोप में नमक बेहद महंगा था, इसलिए उसका गिरना आर्थिक नुकसान और अशुभ संकेत समझा जाने लगा। ईसाई परंपराओं में भी नमक का विशेष उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध चित्र "द लास्ट सपर" में यह दिखाया गया है कि यीशु के शिष्य जुडास के सामने नमक गिरा हुआ है। कुछ लोग इसे विश्वासघात और दुर्भाग्य का प्रतीक मानते हैं। इसी तरह जापान में भी नमक को शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहां किसी अंतिम संस्कार से लौटने के बाद लोग अपने ऊपर नमक छिड़कते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। यह दिखाता है कि नमक को दुनिया भर की संस्कृतियों में केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा गया है।

भारतीय वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में भी नमक का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि नमक वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है। इसी वजह से कई लोग घर के कोनों में कांच के कटोरे में सेंधा नमक रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कुछ लोग हर सप्ताह उस नमक को बदलते भी हैं। विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसी मान्यताएं लोगों को मानसिक शांति और विश्वास प्रदान करती हैं।

शनिवार के दिन नमक मिले पानी से घर में पोछा लगाने की परंपरा भी कई घरों में आज तक निभाई जाती है। लोगों का मानना है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण शांत रहता है। इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण भी हो सकता है। नमक में सफाई और नमी सोखने के गुण होते हैं। पुराने समय में लोग प्राकृतिक चीजों से ही सफाई करते थे, इसलिए नमक का उपयोग स्वच्छता के लिए भी किया जाता रहा होगा। समय के साथ इस व्यवहारिक आदत ने धार्मिक और आध्यात्मिक रूप ले लिया।

ग्रामीण भारत में नजर दोष से जुड़े उपायों में भी नमक का इस्तेमाल काफी आम है। अगर किसी बच्चे को लगातार रोना आए, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाए या घर में बेचैनी महसूस हो, तो कई लोग नमक से नजर उतारने का उपाय करते हैं। वे मुट्ठी में नमक लेकर सात बार वारते हैं और फिर उसे पानी में बहा देते हैं। यह परंपरा वैज्ञानिक दृष्टि से भले सिद्ध न हो, लेकिन इससे लोगों को मानसिक राहत और सुरक्षा का एहसास मिलता है। कई बार मनोवैज्ञानिक संतुलन भी व्यक्ति के व्यवहार और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है।

नमक से जुड़ी इन मान्यताओं का एक सामाजिक पक्ष भी है। पुराने समय में दादी-नानी केवल घर की बुजुर्ग महिलाएं नहीं होती थीं, बल्कि वे परिवार की परंपराओं और अनुभवों की संरक्षक भी होती थीं। वे छोटी-छोटी बातों के माध्यम से बच्चों को अनुशासन, जिम्मेदारी और सावधानी सिखाती थीं। नमक गिरने पर टोकना केवल अंधविश्वास नहीं था, बल्कि यह सिखाने का तरीका था कि भोजन और संसाधनों की कद्र करनी चाहिए। संयुक्त परिवारों में ऐसी मान्यताएं परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने का काम भी करती थीं। आज विज्ञान और आधुनिक सोच के दौर में लोग हर बात का तर्क ढूंढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नमक गिरने और दुर्भाग्य आने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हर परंपरा को केवल अंधविश्वास कहकर नकार देना भी सही नहीं होगा। कई बार इन मान्यताओं के पीछे जीवन के अनुभव, सामाजिक शिक्षा और व्यवहारिक समझ छिपी होती है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षित लोग भी कई बार अनजाने में इन बातों को मान लेते हैं। अगर हाथ से नमक गिर जाए, तो एक पल के लिए मन में वही पुरानी आवाज गूंज उठती है—"सावधान रहो।"

दरअसल, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जीवन की घटनाओं में संकेत खोजता रहता है। छोटी-छोटी चीजें भी भावनाओं और प्रतीकों से जुड़ जाती हैं। नमक सदियों से जीवन, स्वाद, स्वास्थ्य, समृद्धि और रिश्तों का प्रतीक रहा है। इसलिए उसका गिर जाना केवल रसोई की घटना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यह मान्यता आज भी जीवित है, भले ही लोग इसे पूरी तरह सच न मानते हों। समय बदलता है, सोच बदलती है और जीवनशैली भी बदल जाती है, लेकिन कुछ बातें पीढ़ियों से लोगों के मन में बनी रहती हैं। दादी-नानी की कही हुई ये बातें केवल डर पैदा करने के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन का अनुभव छिपा होता था। वे जानती थीं कि छोटी-छोटी सावधानियां ही घर की व्यवस्था और रिश्तों की मिठास बनाए रखती हैं। नमक गिरने की घटना शायद आज विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरे, लेकिन यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा जरूर है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

एसआईआर प्रक्रिया को मिली सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक वैधता, चुनाव आयोग को शर्तों के साथ मतदाता सूची शुद्धिकरण का अधिकार; 13 राज्यों में 7.41 करोड़ नाम हटने के बाद भी नागरिकता पर नहीं पड़ेगा असर

नई दिल्ली। देश की चुनावी प्रणाली और मतदाता सूची के शुद्धिकरण से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा और दूरगामी प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अभ्यास की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह प्रक्रिया अवैध नहीं है और आयोग को कानून के दायरे में रहते हुए मतदाता सूची को शुद्ध करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसी संस्थाएं भी शामिल थीं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य केवल निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है और इसके लिए मतदाता सूची का अद्यतन और शुद्धिकरण आवश्यक प्रक्रिया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योतिर्मय भागची की डिविजन बेंच ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची की शुद्धता भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है और यदि सूची में अपात्र या फर्जी नाम बने रहते हैं तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अदालत ने कहा कि बिहार से शुरू किया गया एसआईआर अभियान इसी उद्देश्य को पूरा करने का एक संवैधानिक प्रयास है।

फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अर्थ किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होना नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदान सूची तक सीमित है और वह किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने वाली अंतिम संस्था नहीं है। यह स्पष्ट करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों को अवैध घोषित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा भी तैयार किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी सूची चार सप्ताह के भीतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी। यह प्राधिकारी नागरिकता कानून के तहत इन मामलों की जांच करेगा और यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक पाया जाता है, तो उसका नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी वैध नागरिक के अधिकार प्रभावित न हों।

इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची तैयार करते समय सभी वैध पहचान पत्रों को स्वीकार करे, लेकिन उनकी सत्यता की गहन जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी दस्तावेज पहचान के प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माने जा सकते।

इस फैसले में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 324 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति प्राप्त है। अदालत ने कहा कि इसी प्रावधान के तहत आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सुधार का अधिकार भी मिलता है, और इसे केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्रक्रिया व्यापक स्तर पर लागू की जा रही है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान कई गरीब, प्रवासी और आपदा प्रभावित लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं। अदालत ने इस चिंता को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और अपील का अधिकार होना आवश्यक है, और यही कारण है कि सक्षम प्राधिकारी की जांच प्रणाली को इसमें शामिल किया गया है।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक लगभग 7.41 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इनमें मृत व्यक्ति, स्थानांतरित मतदाता और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। आयोग ने यह भी दावा किया कि यह अंतिम शुद्धिकरण 2003 के बाद सबसे बड़ा अभियान है, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए व्यापक और सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन उसे हर स्तर पर संवैधानिक सुरक्षा और नागरिक अधिकारों का ध्यान रखना होगा। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी दोहराया कि लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और विश्वसनीय मतदाता सूची से सुनिश्चित होती है।

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। जहां एक ओर इसे चुनावी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे जमीनी स्तर पर मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बता रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह प्रक्रिया आगे राज्यों में किस तरह लागू होती है और इसका वास्तविक प्रभाव मतदाता सूची और आगामी चुनावों पर कितना पड़ता है।

जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, 110 इलेक्ट्रिक बसें होंगी तैनात; 15 जून से उड़ान शुरू होने से पहले तैयारियों में तेजी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक और बेहतर कनेक्टेड एयरपोर्ट्स में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट के संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत किया जाए, ताकि यात्रियों को किसी भी स्तर पर आवागमन की परेशानी न हो। इसी क्रम में पहले चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए तैनात करने का फैसला लिया गया है।

यह बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास क्षेत्र, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के प्रमुख रूटों पर चलाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जेवर एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को शुरुआत से ही तेज, सस्ती, प्रदूषण-मुक्त और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिले, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और ट्रैफिक दबाव नियंत्रित रहे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सक्रिय हो जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन केवल एक परिवहन सुविधा नहीं बल्कि एक "मॉडल सिस्टम" के रूप में विकसित किया जाए, जो भविष्य में अन्य एयरपोर्ट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उदाहरण बने।

राज्य सरकार की योजना के अनुसार आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो, स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगी। फिलहाल राज्य में लगभग 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं और सरकार 2030 तक 10 हजार चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। वर्तमान में करीब 2500 चार्जिंग स्टेशन सक्रिय हैं, जिन्हें तेजी से बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

बैठक में यह भी सामने आया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें जेवर एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी नेटवर्क एक प्रमुख हिस्सा होगा। अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि ईंधन लागत में भी बड़ी बचत होगी, जिससे राज्य के परिवहन ढांचे पर आर्थिक दबाव कम होगा।

मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे और लिंक रोड परियोजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की और निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण के कार्य को तय समयसीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे में 55 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक और झांसी लिंक परियोजनाओं में जून के अंत तक शत-प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट भी स्वीकृत हो चुका है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 हेक्टेयर में से 144 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा मिल चुका है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयर ट्रैवल सेंटर नहीं बल्कि एक बड़े लॉजिस्टिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित होगा।

इसके साथ ही अलीगढ़ डिफेंस नोड में 125 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं, जिससे रक्षा उत्पादन और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए 50 एकड़ भूमि की मांग की गई है, जिसमें से 29 एकड़ भूमि चिन्हित हो चुकी है। इससे कृषि उत्पादों के निर्यात को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। यह सेल हर परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्तर पर देरी या प्रशासनिक अड़चन विकास कार्यों को प्रभावित न करे।

सरकार का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के एविएशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को नई दिशा देगा और यह परियोजना राज्य की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख इंजन साबित होगी।

कसौली के जंगलों में 15 घंटे का युद्धः सेना, वायुसेना और प्रशासन ने मिलकर आग पर काबू पाया, दुर्गम इलाकों में अब भी निगरानी जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली एक बार फिर जंगल की भीषण आग की चपेट में आ गया, जहां तेज गर्मी और सूखी वनस्पति ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि आग कुछ ही घंटों में पश्चिमी ढलानों से फैलकर गिल्बर्ट ट्रेल और अपर मॉल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इसे नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना, वायुसेना और स्थानीय प्रशासन को संयुक्त मोर्चा खोलना पड़ा। लगभग 15 घंटे तक चले इस व्यापक और चुनौतीपूर्ण अभियान के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।

आग सोमवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक कसौली की पश्चिमी ढलानों में भड़की थी। शुरुआती समय में इसे सामान्य जंगल की आग समझा गया, लेकिन तेज हवाओं, लगातार सूखी पत्तियों और चीड़ के जंगलों की वजह से लपटें तेजी से फैलती चली गईं। कुछ ही समय में आग ने बड़े वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाकों में धुआं फैलने लगा, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत का माहौल बन गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना की कसौली ब्रिगेड ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। पहाड़ी और दुर्गम इलाके होने के कारण जमीन पर आग बुझाने का काम बेहद कठिन था, इसलिए सेना के जवानों ने कई जगह फायरब्रेक बनाकर आग की आगे बढ़ती रफ्तार को रोकने का प्रयास किया। इन फायरब्रेक्स ने आग को आवासीय और पर्यटक क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसी दौरान भारतीय वायुसेना को भी अभियान में शामिल किया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने चंडीगढ़ स्थित सुखना झील से पानी भरकर "बम्बी बकेट" तकनीक के माध्यम से आग प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार पानी गिराया। यह प्रक्रिया कई घंटे तक लगातार चलती रही, जिससे उन क्षेत्रों में आग की तीव्रता कम की जा सकी, जहां जमीन से पहुंचना लगभग असंभव था। रातभर चले इस संयुक्त अभियान में सेना के जवान कठिन और खड़ी पहाड़ियों पर तैनात रहे। कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम थी, लेकिन इसके बावजूद जवानों ने जोखिम उठाते हुए आग को आगे बढ़ने से रोके रखा। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें भी लगातार राहत कार्य में जुटी रहीं, जिससे स्थिति पर धीरे-धीरे नियंत्रण बनता गया।

करीब 15 घंटे की लगातार मेहनत के बाद गिल्बर्ट ट्रेल और अपर मॉल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि कुछ दुर्गम इलाकों में अब भी छोटे-छोटे "हॉटस्पॉट" मौजूद हैं, जहां हल्की आग या धुआं देखा जा रहा है। इन क्षेत्रों में निगरानी और पूरी तरह बुझाने का काम अभी भी जारी है ताकि आग दोबारा न भड़क सके।

अधिकारियों के अनुसार राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी भी नागरिक, पर्यटक, राहतकर्मी या सैन्य कर्मी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। यह संयुक्त अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर पुष्पेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की और जवानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे सैनिकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए।

कोल पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, फैमिली पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह तय; 28 माह के एरियर की भी उम्मीद

नई दिल्ली/रायपुर। कोयला उद्योग से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद बड़ा निर्णय लिया है। कोल माइंस फैमिली पेंशन योजना-1971 के तहत न्यूनतम फैमिली पेंशन को संशोधित करते हुए इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस फैसले को कोयला क्षेत्र से जुड़े पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से यह वर्ग बढ़ती महंगाई और सीमित आय के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा था।

यह निर्णय ऐसे समय आया है जब पेंशनरों के संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि पुरानी पेंशन संरचना में संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। पहले की व्यवस्था में कई ऐसे मामले सामने आए थे, जहां लाभार्थियों को इतनी कम राशि मिलती थी कि वह दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं थी। यही कारण था कि यह मुद्दा वर्षों से सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच चर्चा में बना हुआ था।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार अब जिन पेंशनरों को पहले 1000 रुपये से कम फैमिली पेंशन मिल रही थी, उनकी राशि स्वतः संशोधित कर न्यूनतम सीमा तक बढ़ा दी जाएगी। यह व्यवस्था कोल माइंस फैमिली पेंशन योजना-1971 के दायरे में आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों पर लागू होगी। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (सीएमपीएफओ) ने इस संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस निर्णय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे पूर्व प्रभाव से लागू किया गया है। बढ़ी हुई पेंशन को 8 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जिसके कारण लाभार्थियों को केवल भविष्य की नहीं बल्कि पिछली अवधि की भी गणना के आधार पर भुगतान मिलेगा। यही कारण है कि अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पात्र पेंशनरों को लगभग 28 माह का एरियर भी मिल सकता है। यह राशि संबंधित खातों में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, एरियर का भुगतान जून माह की पेंशन के साथ जोड़ा जा सकता है, हालांकि अंतिम निर्णय विभागीय प्रक्रियाओं और वित्तीय अनुमोदन पर निर्भर करेगा। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो हजारों परिवारों को एक साथ बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है, जो उनके लिए लंबे समय से प्रतीक्षित सहायता होगी। इस फैसले के सामाजिक प्रभाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कई कर्मचारी ऐसे रहे हैं, जिनका जीवन पूरी तरह इसी पेंशन व्यवस्था पर निर्भर रहा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारों के लिए यही पेंशन आय का एकमात्र साधन बन जाती है। ऐसे में इस बढ़ोतरी से उन परिवारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी जो लंबे समय से सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे थे ।

पेंशनरों के संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स के संयोजक पीके सिंह राठौर ने इसे एक लंबे संघर्ष की जीत बताया है। उनके अनुसार यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, जो वर्षों से न्यायपूर्ण पेंशन संशोधन की मांग कर रहे थे। हालांकि संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एक चरण है और उनकी आगे की मांगें अभी समाप्त नहीं हुई हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए पेंशन संरचना में नियमित संशोधन आवश्यक है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयरधारकों को 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान, 5 जून को रिकॉर्ड डेट तय

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शुमार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने करोड़ों शेयरधारकों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डिविडेंड की घोषणा कर दी है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 6 रुपये का लाभांश देने का निर्णय लिया है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब बाजार में वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू सेक्टर में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिससे निवेशकों के लिए यह एक स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न का संकेत माना जा रहा है।कंपनी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस डिविडेंड के लिए 5 जून 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इसका अर्थ यह है कि जिन निवेशकों के नाम इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वे ही इस लाभांश के पात्र होंगे। रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर खरीदने वाले निवेशकों को इस बार का डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसी कारण रिकॉर्ड डेट के आसपास शेयरों में निवेशकों की गतिविधि बढ़ने की संभावना रहती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting - AGM) 19 जून 2026 को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के जरिए होगी, जिससे देश-विदेश में मौजूद सभी शेयरधारक इसमें भाग ले सकें। एजीएम में डिविडेंड प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनी की योजना के अनुसार एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद डिविडेंड का भुगतान सात दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 12 जून 2026 को वोटिंग के लिए कट-ऑफ डेट निर्धारित की गई है, ताकि केवल पात्र शेयरधारक ही कॉर्पोरेट निर्णयों में भाग ले सकें। यह प्रक्रिया कंपनी के पारदर्शी और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल को दर्शाती है। डिविडेंड घोषणा के साथ ही कंपनी के ताजा वित्तीय परिणाम भी सामने आए हैं, जो मिश्रित संकेत देते हैं। मार्च 2026 तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 16,971 करोड़ रुपये का शुद्ध समेकित लाभ दर्ज किया है। हालांकि यह पिछले तिमाही के 18,645 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष की समान अवधि के 19,407 करोड़ रुपये की तुलना में कुछ कम है। इसका मुख्य कारण वैश्विक कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मार्जिन पर दबाव बताया जा रहा है। इसके बावजूद कंपनी का कुल राजस्व मजबूत बना हुआ है। इस अवधि में रिलायंस का समेकित राजस्व बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कंपनी के रिटेल और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में लगातार मजबूत प्रदर्शन ने कुल आय को सहारा दिया है। जियो और रिलायंस रिटेल जैसे बिजनेस वर्टिकल्स ने कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है और यही कारण है कि कंपनी का कुल बिजनेस बेस लगातार विस्तार कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस की रणनीति अब पारंपरिक तेल और गैस कारोबार से आगे बढ़कर डिजिटल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हो चुकी है। यही वजह है कि मुनाफे में हल्की गिरावट के बावजूद कंपनी की बाजार में स्थिति मजबूत बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा कायम है। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार डिविडेंड का ऐलान अक्सर कंपनी की वित्तीय स्थिरता का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में जब कई सेक्टरों में अस्थिरता है, रिलायंस का यह कदम निवेशकों के लिए सकारात्मक संदेश देता है कि कंपनी के पास मजबूत नकदी प्रवाह (cash flow) है और वह अपने शेयरधारकों को नियमित लाभ देने में सक्षम है। इस घोषणा के बाद बाजार में रिलायंस के शेयरों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ने की संभावना है।

सोना वायदा में 1897 रुपये, चांदी वायदा में 5882 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 292 रुपये की गिरावट

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 584139.79 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 36420.57 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 547718.99 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 38000 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2616.49 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 26014.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 157541 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 157898 रुपये और नीचे में 155675 रुपये पर पहुंचकर, 157616 रुपये के पिछले बंद के सामने 1897 रुपये या 1.2 फीसदी गिरकर 155719 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मई वायदा 333 रुपये या 0.27 फीसदी गिरकर 124521 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मई वायदा 93 रुपये या 0.59 फीसदी गिरकर 15572 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 157260 रुपये के भाव पर खूलकर, 157409 रुपये के दिन के उच्च और 155258 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1779 रुपये या 1.13 फीसदी गिरकर 155364 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 156457 रुपये के भाव पर खूलकर, 157000 रुपये के दिन के उच्च और 154999 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 156521 रुपये के पिछले बंद के सामने 1306 रुपये या 0.83 फीसदी गिरकर 155215 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 36420.57 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 547718.99 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 26014.60 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38000 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 272603 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 272628 रुपये और नीचे में 263272 रुपये पर पहुंचकर, 270628 रुपये के पिछले बंद के सामने 5882 रुपये या 2.17 फीसदी औंधकर 264746 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 5763 रुपये या 2.1 फीसदी की गिरावट के साथ 269030 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 5742 रुपये या 2.09 फीसदी लुढ़ककर 269129 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 4268.67 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 10.25 रुपये या 0.77 फीसदी लुढ़ककर 1322.75 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि जस्ता मई वायदा रु.1.1 या 0.29 फीसदी औंधकर 372.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 1.65 रुपये या 0.43 फीसदी की मजबूती के साथ 389.45 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा मई वायदा 5 पैसे या 0.02 फीसदी टूटकर 204.5 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5934.32 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8847 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8865 रुपये और नीचे में 8609 रुपये पर पहुंचकर, 292 रुपये या 3.24 फीसदी औंधकर 8722 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 292 रुपये या 3.24 फीसदी घटकर 8724 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस जून वायदा 288.9 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 295.2 रुपये और नीचे में 286.8 रुपये पर पहुंचकर, 292.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.6 रुपये या 0.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 294.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जून वायदा 2.6 रुपये या 0.89 फीसदी की मजबूती के साथ 295 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 959 रुपये के भाव पर खूलकर, बिना बदलाव के 959 रुपये प्रति किलो हुआ। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 14266.01 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11748.58 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3405.01 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 415.27 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 13.70 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 432.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3741.14 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2172.18 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10281 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 68425 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 22026 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 334827 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 51993 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10805 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 27374 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 92968 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16416 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25785 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा सत्र के आरंभ में 38000 पॉइंट पर खूलकर, 376 पॉइंट घटकर 38000 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 170.6 रुपये की गिरावट के साथ 429 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.35 रुपये की बढ़त के साथ 18.55 रुपये हुआ।

सोना मई 158000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 413.5 रुपये की गिरावट के साथ 27.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जून 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1383.5 रुपये की गिरावट के साथ 3100 रुपये हुआ। तांबा जून 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.83 रुपये की गिरावट के साथ 31 रुपये हुआ। जस्ता जून 390 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 87 पैसे की नरमी के साथ 0.98 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 51.3 रुपये की बढ़त के साथ 239.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की गिरावट के साथ 13.45 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 59 रुपये की बढ़त के साथ 157.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जून 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1404.5 रुपये की बढ़त के साथ 5733.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.47 रुपये की बढ़त के साथ 14.15 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.66 रुपये की बढ़त के साथ 8 रुपये हुआ।

अरब सागर में 'सफेद जहर' का सबसे बड़ा जाल बेनकाब, मुंद्रा तट पर 1180 करोड़ की कोकीन जब्त, ब्राजील-कराची कनेक्शन से दहली सुरक्षा एजेंसियां

गुजरात के कच्छ तट पर अरब सागर की गहराइयों में चल रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया है, जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) और इंडियन कोस्ट गार्ड ने संयुक्त समुद्री अभियान चलाकर मुंद्रा पोर्ट के पास एक विदेशी कंटेनर जहाज से लगभग 1180 करोड़ रुपये कीमत की 118 किलो हाई-क्वालिटी कोकीन जब्त की है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह खेप ब्राजील से समुद्री रास्ते के जरिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंची थी और वहां से भारतीय समुद्री सीमा की ओर भेजी गई। इस हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट को अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया लगातार निशाना बना रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह केवल ड्रग्स तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, हवाला नेटवर्क और समुद्री तस्करी के बड़े गिरोहों से भी जुड़े हो सकते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विदेशी जहाज के जरिए ड्रग्स की यह खेप भारत में उतारकर देश के कई राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी थी। एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के पीछे दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के संगठित अपराध सिंडिकेट सक्रिय हैं।

गुजरात पुलिस महानिदेशक डॉ. केएलएन राव ने इस पूरे ऑपरेशन को देश के सबसे बड़े समुद्री एंटी-नारकोटिक्स अभियानों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों को कुछ दिन पहले पुख्ता सूचना मिली थी कि अरब सागर के रास्ते भारी मात्रा में कोकीन भारत पहुंचाई जा सकती है। इसके बाद गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने संयुक्त रणनीति तैयार की। समुद्र में कई दिनों तक निगरानी रखने के बाद मुंद्रा तट से करीब पांच नॉटिकल मील दूर एक संदिग्ध विदेशी कंटेनर जहाज की गतिविधियां एजेंसियों के रडार पर आईं।

बताया जा रहा है कि यह जहाज सामान्य कारोबारी जहाज की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके कुछ क्रू मेंबर्स की गतिविधियां लगातार संदिग्ध थीं। कोस्ट गार्ड की विशेष टीम जहाज की हर गतिविधि पर इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल निगरानी रखे हुए थी। आधी रात के बाद अचानक जहाज पर मौजूद कुछ लोगों ने समुद्र में कई बैग फेंकने शुरू कर दिए। एजेंसियों को तुरंत अंदेशा हो गया कि जहाज पर अवैध सामान मौजूद है और पकड़े जाने के डर से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए पूरे जहाज को चारों तरफ से घेर लिया।

रात के अंधेरे में समुद्र के बीचोंबीच शुरू हुआ यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच सुरक्षा बलों ने जहाज पर चढ़कर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान जहाज से कई संदिग्ध पैकेट बरामद हुए। बाद में जांच में पुष्टि हुई कि इन पैकेटों में 118 किलो हाई-क्वालिटी कोकीन छिपाई गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1180 करोड़ रुपये आंकी गई है। अधिकारियों के अनुसार यह कोकीन बेहद शुद्ध श्रेणी की है और संभवतः दक्षिण अमेरिकी कार्टेल से जुड़ी हुई है।

ऑपरेशन के दौरान जहाज पर मौजूद चार विदेशी नागरिकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इनमें से तीन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी समुद्र में छलांग लगाकर फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश के लिए कोस्ट गार्ड और समुद्री पुलिस ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। एजेंसियों को आशंका है कि वह आरोपी इस पूरे नेटवर्क का महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जहाज ब्राजील से रवाना हुआ था और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर कुछ समय तक रुका था। यहीं से ड्रग्स की खेप को आगे भारतीय समुद्री सीमा की ओर बढ़ाया गया। अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान स्थित तस्करी नेटवर्क ने भारतीय तट तक यह खेप पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान आधारित ड्रग्स नेटवर्क और समुद्री तस्करी गिरोहों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही हैं।

मुंद्रा पोर्ट पहले भी कई बड़े ड्रग्स मामलों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रह चुका है। पिछले कुछ वर्षों में यहां से हजारों करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ पकड़े जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गुजरात का लंबा समुद्री तट अंतरराष्ट्रीय तस्करों के लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान से सटे समुद्री क्षेत्र और अरब सागर के व्यस्त व्यापारिक मार्गों का फायदा उठाकर तस्कर भारत में ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि गुजरात तट पर अब समुद्री निगरानी और खुफिया तंत्र को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।

इस मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार की एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजस्व खुफिया निदेशालय समेत कई केंद्रीय एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में शामिल हो चुकी हैं। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि भारत में इस ड्रग्स खेप को कौन रिसीव करने वाला था और किन राज्यों तक इसकी सप्लाई की योजना थी। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह नेटवर्क केवल गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार मुंबई, दिल्ली, पंजाब और दक्षिण भारत तक फैले हो सकते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रग्स तस्करी अब केवल अपराध का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कई बार आतंकी गतिविधियों, हवाला नेटवर्क और संगठित अपराध को बढ़ावा देने में किया जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां अब समुद्री मार्ग से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर बेहद सतर्क नजर रख रही हैं।

गुजरात सरकार ने भी इस बड़ी कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की है। राज्य सरकार का कहना है कि गुजरात को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी तस्करी नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है।

मुंद्रा तट पर पकड़ी गई इस भारी खेप ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स माफिया भारत को बड़ा बाजार मानकर सक्रिय हैं। समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर देश में नशे का जाल फैलाने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समन्वय ने करोड़ों रुपये की कोकीन को देश में पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया।

अब पूरे देश की नजर इस हाई-प्रोफाइल जांच पर टिकी हुई है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों से पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से साझा की जा रही सूचनाओं के आधार पर आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और भारत में सक्रिय उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकेगा।

राजकोट की सत्ता का नया चेहरा कौन? भाजपा में मंथन तेज, आज खत्म होगा 77 दिनों का प्रशासनिक राज

सौराष्ट्र की राजनीति के सबसे अहम शक्ति केंद्र माने जाने वाले राजकोट नगर निगम में आज सत्ता का नया अध्याय लिखे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले 77 दिनों से प्रशासनिक व्यवस्था के भरोसे चल रही नगर सरकार को अब नया राजनीतिक नेतृत्व मिलने जा रहा है। गुरुवार सुबह भाजपा की समन्वय समिति और विशेष बैठक में नए महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। इस घोषणा को लेकर पूरे राजकोट ही नहीं बल्कि सौराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। भाजपा ने नगर निगम चुनाव में 72 में से 65 सीटों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा बरकरार रखा है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती संगठन, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व तय करने की है।

राजकोट नगर निगम को सौराष्ट्र की राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहां लिया गया हर राजनीतिक फैसला भविष्य की बड़ी रणनीतियों की दिशा तय करता है। यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व इस बार पदाधिकारियों के चयन में बेहद सतर्कता बरत रहा है। पार्टी केवल चेहरे नहीं चुन रही, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास भी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार रोटेशन प्रणाली को प्राथमिकता दी जाएगी। महापौर का पद सामान्य वर्ग के पुरुष पार्षद को दिए जाने की संभावना है, जबकि उप महापौर पद पर महिला चेहरे को आगे लाया जा सकता है। स्थायी समिति अध्यक्ष पद के लिए अनुभवी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को प्राथमिकता मिलने की चर्चा है।

महापौर पद की दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा वार्ड नंबर 10 के पार्षद अश्विन भोरानिया की हो रही है। पाटीदार समुदाय में मजबूत पकड़ और विवादों से दूर रहने वाली साफ-सुथरी छवि के कारण वे भाजपा के भीतर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अश्विन भोरानिया प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर संतुलित नेतृत्व देने में सक्षम हैं। उनके अलावा वार्ड नंबर 14 के अनुभवी पार्षद केतन पटेल का नाम भी तेजी से उभरकर सामने आया है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में पाटीदार समुदाय को मजबूत संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत केतन पटेल को मौका दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

राजकोट की राजनीति में क्षत्रिय समुदाय की भूमिका भी बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। इसी कारण वार्ड नंबर 3 के पार्षद और पूर्व उप महापौर नरेंद्रसिंह जडेजा का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शहर के कई बड़े बिल्डर और प्रभावशाली नेता उनके समर्थन में सक्रिय हैं। भाजपा यदि क्षत्रिय समाज को बड़ा संदेश देना चाहती है, तो नरेंद्रसिंह जडेजा को महापौर पद मिल सकता है। वहीं ब्राह्मण समुदाय से आने वाले वार्ड नंबर 8 के पार्षद मनीष भट्ट भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। मनीष भट्ट को केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला का करीबी माना जाता है और संगठन में उनकी स्वीकार्यता भी मजबूत बताई जाती है।

इस बार भाजपा संगठन में संघ परिवार की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि कुछ ऐसे नाम भी अचानक चर्चा में आ गए हैं, जिन्हें पहले दावेदार नहीं माना जा रहा था। वार्ड नंबर 7 के पार्षद नेहा शुक्ला का नाम इसी श्रेणी में आता है। वे संघ के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय चिमनभाई शुक्ला के पुत्र हैं और संगठन में उनका प्रभाव माना जाता है। टिकट वितरण के समय भी उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी। दूसरी ओर वार्ड नंबर 13 के युवा पार्षद मोहितसिंह जडेजा का नाम भी भाजपा के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। एबीवीपी और संघ से जुड़े मोहितसिंह को भाजपा का युवा चेहरा माना जाता है। यदि पार्टी उन्हें महापौर पद देती है, तो यह राजकोट की राजनीति में सबसे बड़ा और अप्रत्याशित फैसला माना जाएगा।

उप महापौर पद के लिए इस बार महिला चेहरे को मौका देने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। वार्ड नंबर 9 की पार्षद दक्षबेन वसानी इस पद की सबसे प्रबल दावेदार बताई जा रही हैं। लोहाना समुदाय से आने वाली दक्षबेन लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि लोहाना समुदाय लंबे समय से पार्टी का मजबूत समर्थक रहा है, लेकिन वर्तमान में उन्हें संगठन और सत्ता में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। ऐसे में उप महापौर पद देकर भाजपा इस समुदाय को संतुलित राजनीतिक संदेश देना चाहती है।

नगर निगम की सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति के अध्यक्ष पद को लेकर भी जबरदस्त राजनीतिक खींचतान जारी है। नगर निगम के बड़े आर्थिक और विकास संबंधी फैसलों की कमान इसी समिति के हाथ में होती है। पूर्व महापौर और वार्ड नंबर 11 के पार्षद डॉ. प्रदीप डोव इस पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव, शांत स्वभाव और संगठन में मजबूत पकड़ उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 के पार्षद और प्रमुख बिल्डर घनश्याम हरभा का नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के कई प्रभावशाली नेता उनके पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं।

वार्ड नंबर 5 के अनुभवी पार्षद दिलीप लुनागरिया भी स्थायी समिति अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। लेउवा पाटीदार समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और वे लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी यदि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाती है, तो दिलीप लुनागरिया को बड़ा मौका मिल सकता है। इसके अलावा नेहा शुक्ला और नरेंद्रसिंह जडेजा के नाम भी स्थायी समिति अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं।

राजकोट नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति इस बार बेहद कमजोर रही है। कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी, जिसके कारण उसे निगम में आधिकारिक विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की यह भारी जीत आने वाले समय में सौराष्ट्र की राजनीति में उसकी स्थिति और मजबूत करेगी। हालांकि कांग्रेस जल्द ही अपने विपक्षी नेता के नाम की घोषणा कर सकती है, लेकिन पर्याप्त संख्या न होने के कारण उसकी भूमिका सीमित रहने की संभावना है।

राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा अंतिम समय में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकती है। पार्टी का इतिहास रहा है कि वह कई बार ऐसे चेहरों को आगे लाती है, जिनकी चर्चा पहले नहीं होती। यही कारण है कि गुरुवार सुबह होने वाली बैठक को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। संगठनात्मक अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति को देखते हुए किसी नए और चौंकाने वाले नाम के सामने आने से इनकार नहीं किया जा रहा।

राजकोट नगर निगम में बनने वाली नई टीम केवल शहर की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभालेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में भाजपा की राजनीतिक दिशा भी तय करेगी। पार्टी नेतृत्व की कोशिश होगी कि ऐसा नेतृत्व सामने आए जो विकास, संगठन और जनता के बीच मजबूत तालमेल स्थापित कर सके। पूरे सौराष्ट्र की नजरें अब भाजपा की अंतिम घोषणा पर टिक गई हैं, क्योंकि उसी से तय होगा कि राजकोट नगर निगम की सत्ता का नया चेहरा कौन बनेगा और आने वाले समय में शहर की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

वैवाहिक विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 'समायोजन की सलाह' को नहीं माना जा सकता आपराधिक क्रूरता

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने वैवाहिक विवादों और दहेज उत्पीड़न मामलों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बहू को परिवार के साथ तालमेल बैठाने या रिश्ते को बचाने के लिए समझाना अपने आप में आपराधिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि हर पारिवारिक विवाद को दंडात्मक अपराध का रूप नहीं दिया जा सकता और केवल सामान्य आरोपों के आधार पर पति के पूरे परिवार को आपराधिक मामलों में घसीटना कानून के दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है। यह फैसला उस समय आया है जब देशभर में वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में अक्सर पति के साथ-साथ उसके माता-पिता, भाई-बहनों और अन्य रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य न्याय दिलाना है, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध का माध्यम बनना। मध्य प्रदेश से जुड़े इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति Sanjay Karol और न्यायमूर्ति N. Kotiswar Singh की पीठ ने कहा कि केवल यह आरोप कि ससुराल वालों ने बहू को "समायोजन" करने या पति के साथ संबंध सुधारने की सलाह दी, उसे भारतीय दंड कानून के तहत क्रूरता नहीं कहा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवारों में वैवाहिक तनाव के दौरान समझौते और तालमेल की सलाह देना भारतीय सामाजिक संरचना का सामान्य हिस्सा है और इसे स्वतः अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मामले के अनुसार, एक महिला का विवाह वर्ष 2019 में हुआ था। कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच मतभेद और विवाद बढ़ गए। इसके बाद महिला ने अपने पति, सास, ननद और भाभी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए Madhya Pradesh High Court का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपों में स्पष्टता और ठोस साक्ष्यों का अभाव था। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि विवाह के बाद महिला अपने पति के साथ श्योपुर में रहती थी, जबकि उसके ससुराल वाले शिवपुरी में रहते थे। यानी दोनों परिवार अलग-अलग शहरों में रह रहे थे। ऐसे में ससुराल वालों द्वारा रोजाना उत्पीड़न करने के आरोप प्रथम दृष्टया कमजोर दिखाई देते हैं। अदालत ने कहा कि कई बार पारिवारिक रिश्तों में तनाव होने पर रिश्तेदार पति या पत्नी में से किसी एक का पक्ष लेते हैं या विवाद में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। नैतिक दृष्टि से यह व्यवहार किसी को गलत लग सकता है, लेकिन इसे स्वतः आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि उसने कथित अपराध में प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी की हो। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर पूरे परिवार को अभियुक्त बनाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं, तो उनके समर्थन में ठोस तथ्य और साक्ष्य होना जरूरी है। केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक व्यापक सामाजिक टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में खटास आना असामान्य नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पति या पत्नी के पूरे परिवार को कानूनी लड़ाई में घसीट दिया जाए। अदालत ने दो टूक कहा कि कानून को बदले या प्रतिशोध का हथियार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान दंपति का पारिवारिक न्यायालय में तलाक हो चुका था। ऐसे में बिना पर्याप्त साक्ष्य के ससुराल पक्ष के खिलाफ आपराधिक मुकदमे जारी रखना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल आरोपों के आधार पर लोगों को लंबे समय तक कानूनी संकट में रखना नहीं, बल्कि निष्पक्ष तरीके से सत्य की जांच करना है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। विशेष रूप से उन मामलों में, जहां पति के दूर के रिश्तेदारों या अलग रहने वाले परिवारजनों को भी एक साथ आरोपी बना दिया जाता है, अदालतों द्वारा अब अधिक सावधानी से तथ्यों की जांच किए जाने की संभावना है।

सूरत नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के शोषण के आरोप, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम के 7वें जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्ड कार्यालयों (जैसे 7वां, जानी फरसान, उमरा, पिपलोद आदि) में कार्यरत लगभग 20 से 25 सफाईकर्मियों और बेलदारों का कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से शोषण किया जा रहा है। यह एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला है। जनता के कर के पैसे से वेतन पाने वाले ये सफाईकर्मी, जो शहर की सफाई करते हैं, वर्तमान में कुछ अधिकारियों द्वारा अपने निजी बंगलों, फ्लैटों और रिश्तेदारों के कार्यालयों में घरेलू काम, बर्तन धोने और अन्य निजी कामों में लगाए जा रहे हैं। इन कर्मचारियों को सुबह से लेकर देर रात तक इसी काम में व्यस्त रखा जाता है। इसके अलावा, इन कर्मचारियों से कुछ निजी रेस्तरां और डेयरी से नाश्ता, मिठाई और दूध जैसी चीजें अधिकारियों के घरों तक मुफ्त में पहुंचाई जाती हैं। परिणामस्वरूप, इन दुकानों की खाद्य सुरक्षा जांच करने का अधिकार रखने वाले अधिकारी स्वयं इन व्यापारियों से रिश्वत और उपहार ले रहे हैं, जिससे शहर में भोजन की गुणवत्ता खतरे में पड़ रही है और जनता के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा घोटाला उपस्थिति प्रणाली में हुआ है। जब ये कर्मचारी फील्ड में या अधिकारियों के घरों में काम कर रहे होते हैं, तब वार्ड कार्यालय के जिम्मेदार कर्मचारी पंचिंग मशीन में उनकी उपस्थिति गलत तरीके से दर्ज कर रहे होते हैं। यह सूरत नगर निगम के कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से कदाचार और भ्रष्टाचार का मामला है।

सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ की मांग:

(1) इस प्रकार की सभी अवैध गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। (2) सातवें जोन के सभी वार्ड कार्यालयों के उपस्थिति रिकॉर्ड और पंचिंग मशीन डेटा की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। (3) इस शोषण में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और इन कर्मचारियों का अब तक का वेतन उनसे वसूला जाना चाहिए। (4) सफाई कर्मचारियों को, जिन्हें उनके मूल कार्य से हटाकर निजी नौकरों की तरह रखा गया है, उन्हें तत्काल सफाई कार्य में वापस भेजा जाना चाहिए। यदि इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो सफाई कर्मचारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्च स्तरीय विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता होगी। आशा है कि इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष किरित सिंह वाघेला, महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख और मंत्री हरीशभाई राठौड़ ने सूरत नगर आयुक्त को लिखित शिकायत भेजी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गिर क्षेत्र में शावकों की मृत्यु को लेकर गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर सघन जानकारी प्राप्त की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गिर क्षेत्र में शावकों की मृत्यु को लेकर बुधवार को गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की और इस संबंध में सघन विवरण प्राप्त किया।

बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव ने जानकारी दी कि गिर में अलग-अलग क्षेत्रों में 4 शावकों की मृत्यु हुई है। गिर क्षेत्र के कुल लगभग 17 सिंहों को आइसोलेट कर उन पर निगरानी रखी जा रही है।

गिर गढडा तथा बाबरिया क्षेत्र की 10 किलोमीटर की परिधि में मौजूद सभी सिंहों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है तथा उनमें कोई अन्य बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं।

वन विभाग द्वारा अमरेली तथा भावनगर जिलों के राजस्व क्षेत्र में सभी सिंहों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है और उसकी दैनिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जा रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में दिखाई देने वाली मौसमी बीमारी के प्रति सुरक्षा के रूप में गिर क्षेत्र के 350 से अधिक सिंहों की डी-टिकिंग प्रक्रिया एवं अन्य स्वास्थ्योन्मुखी कदम उठाने के कार्य किए जा रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री जयपाल सिंह ने बताया कि इस कार्य में जूनागढ वेटरनरी कॉलेज के चिकित्सा विशेषज्ञ भी जुड़े हैं।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अजय कुमार भी सहभागी हुए।

सूरत के फोस्टा संगठन की कार्यशैली और व्यापारियों को न्याय दिलाने में विफलता पर सवाल उठाए गए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत में, लगभग 30-35 वर्षों से कपड़ा बाजार के व्यापारियों के हित में एक संगठन स्थापित है, जिसका नाम FOSTA है। 2005 में BPMC अधिनियम के तहत इस संगठन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। हालांकि, यह आज भी FOSTA के नाम से कार्यरत है। इसके अध्यक्ष कैलाश हकीमजी हैं, जो संगठन का प्रबंधन कर रहे हैं। इस संगठन, यानी FOSTA का मुख्य उद्देश्य कपड़ा बाजार के व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना है। उदाहरण के लिए, किसी बिल्डर द्वारा स्थापित परियोजनाओं में, उन कपड़ा व्यापारियों को न्याय दिलाना, जिन्हें बिल्डरों ने दुकानों, गोदामों या अन्य संपत्तियों में धोखा दिया है, जहां व्यापारियों ने अपना सामान बेचा है। उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाना या उनके द्वारा बेची गई संपत्ति का कब्ज़ा दिलाना।

इसी प्रकार, सूरत के वस्त्र बाजार का माल न केवल देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में जाता है, बल्कि विदेशों में भी जाता है और सूरत के व्यापारियों का पैसा भी इसमें फंस जाता है। ऐसे व्यापारियों के साथ खड़ा रहना FOSTA के अध्यक्ष और उनकी टीम का कर्तव्य है। लेकिन दुर्भाग्य से, वर्तमान अध्यक्ष कैलाश हकीम जी, एक राजनीतिक नेता की चापलूसी करते हुए, "जी हजूर हज़ार है" (मैं यहाँ उपस्थित हूँ) जैसी नीति अपनाकर और केवल तस्वीरें खिंचवाकर FOSTA का गौरव बढ़ाते प्रतीत होते हैं।

अब आइए अतीत के उन प्रख्यात उद्योगपतियों और व्यापारियों पर एक नज़र डालें जो एक-दूसरे की मदद करते थे। भामाशा, गजानंद मालपाणि जी, जे.पी. शाह, महेंद्रसिंह सुलेजा, प्रमोदभाई चौधरी, ओमजी शालू, कमल तुस्यानी, सावरमल बुधिया जी जैसे परोपकारी उद्योगपति और व्यापारी व्यापारियों के हित और उन्हें न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन वस्त्र मंत्री काशीराम राणा और अन्य राजनेताओं से केंद्र सरकार को सिफारिशें करते थे। व्यापारी आज भी उन्हें याद करते हैं।

इतना ही नहीं, सूरत में रेल आने पर भी उपर्युक्त उद्योगपतियों ने तत्कालीन वस्त्र मंत्री शंकरसिंह वाघेला से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और व्यापारियों को हुए नुकसान के संबंध में अपनी बात रखी तथा उनके (व्यापारियों और बुनकरों के) हितों की रक्षा करते हुए उन्हें न्याय दिलाया। लाखों की राहत राशि प्राप्त कर चुके इन भावुक उद्योगपतियों ने किसी भी असामाजिक तत्व को अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया और न ही किसी असामाजिक तत्व की सहायता ली। उन्होंने केवल व्यापारियों के हितों की बात की। और उन्होंने व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए संगठन का संचालन किया। यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि सूरत के शिव शक्ति बाजार में आग लगने पर फोस्टा के अध्यक्ष कैलाशजी हकीमजी द्वारा दिखाई गई सहानुभूति से ऐसा प्रतीत हुआ कि आग में लाखों का नुकसान झेलने वाले व्यापारियों को न्याय मिला है।

करोड़ों का नुकसान झेलने वाले और नकदी का कुछ हिस्सा जल जाने वाले व्यापारियों को जल्द ही न्याय मिलेगा, लेकिन आज तक व्यापारियों को न्याय नहीं मिला है और क्षतिग्रस्त शिव शक्ति मार्केट परियोजना आज भी वहीं खड़ी है। उस समय यह भी महसूस किया गया था कि जो अध्यक्ष दिन-रात अग्निशामक की तरह मौजूद थे, उनकी सहानुभूति आज कहां चली गई? दो साल से व्यापारियों को न्याय क्यों नहीं मिला है? और आज तक न्याय क्यों नहीं दिया गया है? यह अच्छी बात है कि आपने FOSTA के अध्यक्ष पद के लिए राजनेताओं की सिफारिश की है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी छवि दागदार नहीं होनी चाहिए। उनकी छवि साफ-सुथरी होनी चाहिए और वे जनहितैषी कार्य कर रहे हों। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि राजस्थान के महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष की छवि साफ-सुथरी हो। और वे ऐसे हों कि पूरा राजस्थानी समाज उनका स्वागत करे।